

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक २६ /८ /2023

क्र. IPI/5/0019/2023/ए-ब्यारहः: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (इकाई - मेसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स) द्वारा सरला नगर, तहसील मैहर, जिला सतना में रु. 550.00 करोड़ के पूंजी निवेश से विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23245) हेतु शासनादेश दिनांक 13.07.2022 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सर्वंधन नीति 2014 (यथा संशोधित) अनुसार "वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम" में किए जा रहे निवेश को निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु गणना में शामिल किए जाने हेतु मान्य किया जाये। इस निवेश पर सहायता पूर्वानुसार, 20 प्रतिशत के दर से, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित विद्युत कनेक्शन पर परियोजना हेतु लिए गए अतिरिक्त भार/ नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों के स्थान पर 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रु. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
3. **विद्युत शुल्क से छूट-** पूर्व स्वीकृत सुविधा में संशोधन कर "वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम" द्वारा उत्पादित विद्युत पर देय विद्युत शुल्क से 10 वर्षों हेतु छूट प्रदान की जाये।
4. **परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ** इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
5. **इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत** एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।
6. **परियोजना को उद्योग सर्वंधन नीति, 2014 (यथा संशोधित)** अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
7. **कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

// 2 //

पृ. क्र. IPI/5/0019/2023/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक २६/५/२०२३

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा।
 4. कलेक्टर, जिला- सतना।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (इकाई - मेसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स)
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग